भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3130

जिसका उत्तर 07.08.2025 को दिया जाना है

राजमार्गों पर अवैध पार्किंग और दुर्घटनाएं

†3130. श्री राहुल कस्वां:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समर्पित ट्रक ठहराव स्थान और विश्राम क्षेत्रों के अभाव में राजमार्गों पर अवैध पार्किंग और दुर्घटनाओं में वृद्धि होती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने प्रमुख गलियारों पर निश्चित अंतरालों पर ट्रक विश्राम क्षेत्र स्थापित करने के लिए कोई राष्ट्रीय योजना तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जून, 2025 की स्थिति के अनुसार ऐसे कितने ठहराव स्थान चालू हैं और कितने निर्माणाधीन हैं;

(घ) क्या भूमि अधिग्रहण और वित्तपोषण में विलंब के कारण उक्त कार्यान्वयन प्रभावित हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन जोनों के लिए मानक डिजाइन विनिर्देश और अनिवार्य सुविधाएं क्या-क्या हैं; और

(च) लंबी दूरी की यात्राओं के दौरान ट्रक ड्राइवरों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) सड़क दुर्घटनाएँ बहु-कारणीय घटनाएँ हैं और विभिन्न कारकों के परस्पर प्रभाव का परिणाम हैं जिन्हें मोटे तौर पर (i) मानवीय चूक (ii) सड़क की स्थिति/पर्यावरण और (iii) वाहनों की स्थिति में वर्गीकृत किया गया है।

(ख) और (ग) ट्रक ले-बाई का निर्माण भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी:एसपी:87-2019/आईआरसी:एसपी:84-2019) द्वारा चार/छह लेन वाले राजमार्गों के लिए जारी विनिर्देशों और मानकों के मैनुअल के अनुसार किया जाता है। सरकार ने चार-लेन और उससे अधिक के राष्ट्रीय राजमार्गों पर 40-60 किलोमीटर के अंतराल पर ट्रक चालकों के लिए सुविधाओं और मार्गस्थ सुविधाओं (डब्ल्यूएसए) की भी योजना बनाई है। ट्रक ले-बाई आमतौर पर राजमार्ग परियोजनाओं के एक भाग के रूप में चेक बैरियर, अंतर-राज्यीय सीमाओं, ट्रक ऑपरेटरों के पारंपरिक पड़ावों आदि के पास बनाए जाते

हैं। आज की तिथि तक, ट्रक ले-बाई के अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजमार्गों/एक्सप्रेसवे पर 59 समर्पित ट्रक चालक सुविधाएँ प्रचालन में हैं।

(घ) राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में देरी का एक कारण भूमि अधिग्रहण रहा है, जिसमें जल परिवहन केंद्रों का विकास भी शामिल है।

(ङ) ट्रक चालकों के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों/एक्सप्रेसवे पर जल परिवहन केंद्रों में अनिवार्य सुविधाओं के रूप में शयनशाला, स्वयं-लॉन्ड्री, खाना पकाने की सुविधा, ट्रैक्टर-ट्रॉली कपलिंग/डिकप्लिंग की व्यवस्था, वाहन धुलाई क्षेत्र, वाई-फाई के साथ खुले में भोजन करने की जगह शामिल है।

(च) मोटर परिवहन कर्मचारी अधिनियम, 1961 की धारा 13 से 20 के अंतर्गत पर्याप्त आराम के घंटों के साथ काम के घंटों का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, 8 दिसंबर, 2023 के साकानि 886 अ के तहत सरकार ने 1 अक्टूबर, 2025 को या उसके बाद निर्मित वाहनों में एन2 (3.5 टन से अधिक लेकिन 12.0 टन से कम सकल वाहन भार वाले माल वाहन) और एन3 (12.0 टन से अधिक सकल वाहन भार वाले माल वाहन) श्रेणियों के वाहनों के केबिन के लिए एयर कंडीशनिंग प्रणाली लगाना अनिवार्य कर दिया है।

*****